

## राजस्व विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2009

सं. फा. 1(333)/पंजि. शाखा (मुख्या)/मण्डल आयुक्त/09/766.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का.आ. 1726 (सं. फा. 2/5/61-न्याय-II) दिनांक 22 जुलाई, 1961, एवं का.आ. 2709 दिनांक 7 सितम्बर, 1966 एवं इस सरकार की अधिसूचना सं. फा. 1(333)/पंजि. शाखा (मुख्या)/मण्डल आयुक्त/09/746 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, सम्पत्ति संख्या 2469/1, होस्टल सुभान्चल, कार्यरत महिलाओं का होस्टल, विकास सदन के सामने, आई. एन. ए., नई दिल्ली-110023, के हस्तांतरण के दस्तावेज/प्रलेख, जिसके द्वारा श्रमसाधना दिल्ली ट्रस्ट जोकि सार्वजनिक सेवा/महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में परोपकार में संलग्न है को हस्तांतरित किया जायेगा, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से  
तथा उनके नाम पर,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

## REVENUE DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 10th November, 2009

No. F. 1(333)/Regn. Br./HQ/Div. Com./09/766.—  
In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notifications No. S.O. 1726 (No. F. 2/5/61-Judl-II) dated 22nd July, 1961 and S.O. 2709 dated the 7th September, 1966 and this Government Notification No. F. 1(333)/Regn. Br./HQ/Div. Com./09/746 dated 15th October, 2009, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to exempt the stamp duty chargeable on the instrument of conveyance of property bearing No. 2469/1, Hostel Shubhanchal, Working Women Hostel, Opposite Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi-110023 executed in favour of Shram Sadhana Delhi Trust, Delhi, which is engaged in public service/charitable activities in the field of women empowerment.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jr. Secy. (Revenue)